



# भारत का राजपत्र

## The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 373]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जून 5, 2015/ज्येष्ठ 15, 1937

No. 373]

NEW DELHI, FRIDAY, JUNE 5, 2015/JYAISTHA 15, 1937

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 5 जून, 2015

सा.का.नि. 464(अ).—केन्द्रीय सरकार, कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) की धारा 462 की उपधारा (1) के खंड (क) और खंड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और उक्त धारा की उपधारा (2) के अनुसरण में लोकहित में यह निदेश देती है कि कंपनी अधिनियम, 2013 के कतिपय उपबंध, जैसा कि सारणी के स्तंभ (2) में विनिर्दिष्ट हैं, के उपबंध किसी प्राइवेट कंपनी पर उक्त सारणी के स्तंभ (3) में यथा विनिर्दिष्ट अपवाद, उपांतरण और अनुकूलन सहित लागू नहीं होंगे या लागू होंगे, अर्थात् :—

क्र.सं.	कंपनी अधिनियम, 2013 में अध्याय/धारा/उप-धारा (उप-धाराएं)	अपवाद/उपांतरण/अनुकूलन
(1)	(2)	(3)
1.	अध्याय 1, धारा 2 के खंड (76) के उपखंड (8)	धारा 188 के संबंध में लागू नहीं होगी।
2.	अध्याय 4, धारा 43 और धारा 47	जहां प्राइवेट कंपनी के संगम ज्ञापन या संगम अनुच्छेद में ऐसा उपबंध हो, वहां लागू नहीं होगी।
3.	अध्याय 4, धारा 62 की उपधारा (1) के खंड (क) का उपखंड (i) और धारा 62 की उपधारा (2)	निम्नलिखित उपांतरणों के साथ लागू होगी ;— खंड (क) के उपखंड (i) में निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :— “परंतु इस धारा के इस उपधारा और उपधारा (2) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, किसी प्राइवेट कंपनी के नबे प्रतिशत सदस्यों ने लिखित में या इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से अपनी सम्मति दी है तो उक्त उपखंड या उपधारा में

		विनिर्दिष्ट अवधि से कम की अवधि लागू होगी”
4.	अध्याय 4, धारा 62 की उपधारा (1) का खंड (ख)	खंड (ख) में “विशेष संकल्प” शब्दों के स्थान पर “साधारण संकल्प” शब्द रखे जाएंगे।
5.	अध्याय 4, धारा 67	निम्नलिखित प्राइवेट कंपनियों पर लागू नहीं होगी— (क) जिसकी शेयर पूँजी में किसी अन्य कारपोरेट निकाय ने विनिधान नहीं किया हो; (ख) यदि ऐसी कंपनी जिसकी बैंकों या वित्तीय संस्थानों या अन्य किसी कारपोरेट निकाय से ऋण उसकी चुकता शेयर पूँजी के दुगुने या पचास करोड़ रुपए से कम, जो भी कम हो तो; और (ग) ऐसी कंपनी जो इस प्रकार के विद्यमान उधार के प्रतिसंदाय के समय इस धारा के अधीन संव्यवहार में दोषी न हो।
6.	अध्याय 5, धारा 73 की उपधारा 2 के खंड (क) से (इ)	किसी ऐसी प्राइवेट कंपनी पर लागू नहीं होगी जो अपने सदस्यों से समादत्त शेयरपूँजी और खुली आरक्षितियों के योग के एक सौ प्रतिशत से अनधिक राशि स्वीकार करती है और ऐसी कंपनी इस प्रकार स्वीकृत राशि के ब्यौरे यथाविनिर्दिष्ट रीति से रजिस्ट्रार को फाइल करेगी।
7.	अध्याय 7, धारा 101 से 107 और धारा 109	लागू होगी जब तक कि संबंधित धाराओं या कंपनी के अनुच्छेदों में कोई अन्यथा उपबंध न हो।
8.	अध्याय 7, धारा 117 की उपधारा 3 का खंड (छ)	लागू नहीं होगी।
9.	अध्याय 10, धारा 141 की उपधारा 3 का खंड (छ)	इस उपांतरण के साथ लागू होगी कि “बीस से अधिक कंपनियों” शब्दों के पश्चात् “एक सौ करोड़ रुपए से कम समादत्त शेयरपूँजी वाली एकल व्यक्ति कंपनियों, निष्क्रिय कंपनियों, छोटी कंपनियों और प्राइवेट कंपनियों के सिवाय” शब्द रखे जाएंगे।
10.	अध्याय 11, धारा 160	लागू नहीं होगी।
11.	अध्याय 11, धारा 162	लागू नहीं होगी।
12.	अध्याय 12, धारा 180	लागू नहीं होगी।
13.	अध्याय 12, धारा 184 की उपधारा (2)	इस अपवाद के साथ लागू होगी कि हितबद्ध निदेशक अपना हित प्रकट करने के पश्चात् ऐसे अधिवेशन में भाग ले सकते हैं।
14.	अध्याय 12, धारा 185	ऐसी प्राइवेट कंपनी पर लागू नहीं होगी— (क) जिसकी शेयर पूँजी में किसी कारपोरेट निकाय ने विनिधान नहीं किया हो; (ख) यदि ऐसी कंपनी पर बैंकों या वित्तीय संस्थानों या अन्य किसी कारपोरेट निकाय से उधार उसकी समादत्त शेयर पूँजी के दुगुने या पचास करोड़ रुपए, जो भी कम हो; और (ग) ऐसी कंपनी ने इस धारा के अधीन लेन-देन के समय विद्यमान उधार के प्रतिसंदाय में कोई चूक नहीं की हो।
15.	अध्याय 12, धारा 188 दूसरे परंतुक की उपधारा (1)	लागू नहीं होगी।
16.	अध्याय 13, धारा 196, उपधारा (4) और उपधारा (5)	लागू नहीं होगी।

2. प्राइवेट कंपनियां उपर्युक्त सारणी के स्तंभ (3) में यथाविनिर्दिष्ट अपवादों, उपांतरणों और अनुकूलनों का अनुपालन करते हुए अपने शेयरधारकों के हितों की सुरक्षा सुनिश्चित करेगी।

3. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 462 की उपधारा (2) की अपेक्षानुसार इस अधिसूचना की एक प्रति संसद के दोनों सदनों के समक्ष प्रारूप रूप में रखी गई है।

[फा. सं. 1/1/2014-सीएल-V]

अमरदीप सिंह भाटिया, संयुक्त सचिव

## MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS

### NOTIFICATION

New Delhi, the 5th June, 2015

**G.S.R. 464(E).**—In exercise of the powers conferred by clauses (a) and (b) of sub-section (1) of section 462 and in pursuance of sub-section (2) of said section of the Companies Act, 2013 (18 of 2013), the Central Government, in the interest of public, hereby directs that certain provisions of the Companies Act, 2013, as specified in column (2) of the Table, shall not apply or shall apply with such exceptions, modifications and adaptations, as specified in column (3) of the said Table, to a private company, namely:—

Serial number	Chapter/ Section number/ Sub-section(s) in the Companies Act, 2013	Exceptions/ Modifications/Adaptations
(1)	(2)	(3)
1.	Chapter I, sub-clause (viii) of clause (76) of section 2.	Shall not apply with respect to section 188.
2.	Chapter IV, section 43 and section 47.	Shall not apply where memorandum or articles of association of the private company so provides.
3.	Chapter IV, sub-clause (i) of clause (a) of sub-section (1) and sub-section (2) of section 62.	Shall apply with following modifications:— In clause (a), in sub-clause (i), the following proviso shall be inserted, namely:— Provided that notwithstanding anything contained in this sub-clause and sub-section (2) of this section, in case ninety per cent. of the members of a private company have given their consent in writing or in electronic mode, the periods lesser than those specified in the said sub-clause or sub-section shall apply.
4.	Chapter IV, clause (b) of sub-section (1) of section 62.	In clause (b), for the words “special resolution”, the words “ordinary resolution” shall be substituted.
5.	Chapter IV, section 67.	Shall not apply to private companies - (a) in whose share capital no other body corporate has invested any money; (b) if the borrowings of such a company from banks or financial institutions or any body corporate is less than twice its paid up share capital or fifty crore rupees, whichever is lower; and (c) such a company is not in default in repayment of such borrowings subsisting at the time of making transactions under this section.
6.	Chapter V, clauses (a) to (e) of sub-section (2) of section 73.	Shall not apply to a private company which accepts from its members monies not exceeding one hundred per cent. of aggregate of the paid up share capital and free reserves, and